न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –43/2021 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2021/213

बंगालीमल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 1 "लक्ष्मी भवन" चुंगी, रंगपुर रोड आदर्श नगर, कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

सुरेन्द्र शर्मा पुत्र बंगालीमल शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी गली नम्बर 1, चौपडा फार्म, कोटा जंक्शन राज0

––रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 3.9.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भरण पोषण अधिकारी कोटा बउनवान बंगालीमल शर्मा, बनाम सुरेन्द्र प्र0सं0 102/2021 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितः–

1. श्री भुवनेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अफजल अहमद, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः–03/11/2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अन्तर्गत धारा 5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पौषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 102/2021 में निर्णय दिनांक 3.9.2021 से अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, आदेश पारित किया कि–"प्रार्थी एवं अप्रार्थी दौनों संयुक्त रूप से वर्तमान में भू–स्वामी है, इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व बेदखली नहीं की जा सकती है । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।"

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 13.09.2021 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश संचिका पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेख के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि आक्षेपित आदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के माध्यम से माता एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त होने वाले हक एवं अधिकारों की मूल भावना के विपरीत पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत निष्कर्ष देते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुरूप पोषणीय नहीं है तथा माता पिता व वरिष्ठ नागरिक को प्राप्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेंट उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से एडवोकेट अफजल अहमद उपस्थित । उपस्थित वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी रेल्वे से सेवानिवृत्त है तथा वर्तमान में 70 वर्षीय वृद्व होकर कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने से अपनी सार संभाल करने में सक्षम नहीं है और दवाईयों पर निर्भर रहकर अत्यंत कष्ट के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है । वादग्रस्त मकान अपीलार्थी ने स्वअर्जित आय से क्रय किया गया है । प्रत्यर्थी ने निरंजनलाल विजय से उक्त मकान का सौदा 11 लाख रूपये में किया था, उसके पश्चात प्रत्यर्थी एवं प्रत्यर्थी की माता अपीलार्थी की पत्नि ने अपीलार्थी को मकान के सौदे की बातचीत की तो मकान के विक्रेता निरंजनलाल विजय से अपीलार्थी ने बातचीत कर मकान का सौदा 7.5 लाख रूपये में तय किया । जिसमें से अपीलार्थी द्वारा 5,50,000/– बैंक के माध्यम से तथा 2,00,000/– निरंजनलाल विजय को नकद अदा किये गये । प्रत्यर्थी व उसकी माता द्वारा मकान क्रय करने में कोई राशि अदा नहीं की गई है । मकान की रजिस्ट्री के समय महेन्द्र कुमार शर्मा व प्रत्यर्थी की माता रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद नहीं थे, इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा मकान क्रय करने में कोई राशि अदा नहीं की गयी है, क्योंकि यदि उनके द्वारा कोई राशि अदा की जाती तो वे निश्चित रूप से रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद होते । इसके साथ ही मकान की रजिस्ट्री में प्रत्यर्थी की माता का नाम अंकित नहीं होने बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को धमकी दिये जाने का प्रश्न है तो रजिस्ट्री के समय प्रत्यर्थी बालिग था तथा अपीलार्थी से डरने की स्थिति में नहीं था । अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को उसकी माता को तलाक दिये जाने की धमकी देने का कथन मिथ्या आलेखित किया गया है । अपीलार्थी द्वारा स्वअर्जित आय से प्लॉट क्रय करते समय प्रत्यर्थी, अपीलार्थी का पुत्र होने के कारण अप्रत्यर्थी का नाम रजिस्ट्री में लिखवाया गया था और पुत्र होने के कारण ही अपीलार्थी ने उक्त मकान में प्रत्यर्थी को बिना किसी किराये एवं चार्जेज के निवास करने हेतु बतौर लाइसेंसी दिया गया था । प्रत्यर्थी व उसकी पत्नि द्वारा अपीलार्थी व उसकी पुत्र के साथ मारपीट कर घर से निकालने के संबंध में पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के समक्ष रिपोर्ट पेश की गयी है जिसमें सभी परिजनों को पाबन्द किया गया । दिनांक 17.12.2020 को भी प्रत्यर्थी एवं उसकी पत्नि ने न्यायालय में पेशी पर आने के दौरान अदालत परिसर में अपीलार्थी के साथ मारपीट की गयी तथा उक्त मकान की रजिस्ट्री प्रत्यर्थी के नाम करवाने की धमकी दी गयी जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना नयापुरा कोटा में धारा 107,151 में पाबन्द किया गया । प्रत्यर्थी व उसकी पत्नि द्वारा अपीलार्थी को उसके ही मकान से बेदखल कर देने के पश्चात अपीलार्थी किराये के मकान में रहने को मजबूर हो गया है और वृद्वावस्था एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण अपीलार्थी को किसी अन्य के मकान में किराये पर रहने पर भारी परेशनी का सामना करना पड रहा है । किराये पर रहने के बावजूद प्रत्यर्थी, मकान को उसके नाम करवाने का दबाव बनाने के लिये अपीलार्थी व उसकी पुत्री के साथ कई बार मारपीट व झगडा कर चुका है । अपीलार्थी को अपनी वृद्वावस्था के दौरान प्रत्यर्थी से सेवा एवं देखरेख करवाने तथा दैनिक जरूरत का खर्चा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपने पुत्र कर्तव्य का निवर्हन नहीं किया जाकर उसके विपरीत कृत्य करते हुये मारपीट व परेशान किया जा रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 3.9.2021 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी /प्रार्थी को उसकी स्वअर्जित आय से क्रय किये गये मकान से प्रत्यर्थी को बेदखल कर उसका भौतिक कब्जा अपीलार्थी को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

5. वकील रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय भरण पोषण अधिकरण अधिकारी द्वारा 3.9.2021 को निर्णय सुनाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि "प्रार्थी एवं अप्रार्थी दौनों संयुक्त रूप से वर्तमान में भू–स्वामी है । इस कारण

जिला कलक्टर
कोटा

अप्रार्थी के विरूद्व बेदखली नहीं की जा सकती है । अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।" इस प्रकार उक्त निर्णय की रोशनी में माननीय अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील भी चलने योग्य नहीं है । रजिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्ट्री में निरंजन कुमार ने कथन किया है कि उपरोक्त मकान की कीमत मैने दौनों केतागण अर्थात बंगालीमल व सुरेन्द्र शर्मा से प्राप्त की है तथा दौनों केतागण का उक्त मकान में बराबर–बराबर का हिस्सा एवं मालिकाना अधिकार रहेगा, जिससे स्पष्ट है कि बंगालीमल ने झूंठ बोला है और जब दौ व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति होती है अर्थात सहस्वामी होते तो अपीलार्थी / प्रत्यर्थी को सक्षम सिविल न्यायालय में बंटवारे व कब्जा प्राप्ती का दावा प्रस्तुत करना चाहिये था जो कि बंगालीमल ने अभी तक नहीं किया है । इस प्रकार अपील चलने योग्य नहीं है । प्रत्यर्थी सुरेन्द्र शर्मा अपनी पत्नि बिन्दिया शर्मा एवं बच्चों के साथ वादग्रस्त डडवाडा वाले मकान में निवासरत है लेकिन अपीलार्थी ने अपनी मूल अर्जी व अपील में प्रत्यर्थी सुरेन्द्र शर्मा की पत्नि को आवश्यक पक्षकार होते हुये पक्षकार नहीं बनाया है । अर्थात आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील चलने योग्य नहीं है । अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रत्यर्थी सुरेन्द्र शर्मा को सम्पूर्ण मकान से बेदखल किया जाये अर्थात अपनी पत्नि और बच्चों को छोडकर सुरेन्द्र के घर से चला जाये । यहां सोचनीय विषय है कि जब सुरेन्द्र अपने पत्नि बच्चों को छोडकर घर से निकल जायेगा तो उनका लालन पालन व भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था कौन करेगा । इस प्रकार मांगा गया अनुतोष विधि एवं प्राकृतिक /नैसर्गिक न्याय के विपरीत होने से अपील चलने योग्य नहीं है । बंगालीमल ने एक भी ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें सुरेन्द्र शर्मा को बंगालीमल को मारने के जुर्म में दोषी माना हो, बल्कि एक चालान से सुरेन्द्र शर्मा का नाम झूंठा होने के कारण निकाला गया था । प्रार्थी / अपीलार्थी रेल्वे से रिटायर्ड है जिसे पेंशन, मेडिकल इत्यादि सुविधायें मिलती है जिसके आगरा में भी मकान है एवं एक भाई की मृत्यु राशि भी अपीलार्थी के पास है । अपीलार्थी के 4 पुत्र है जिसमें से दौ पुत्र वर्तमान में बेरोजगार है तथा एक पुत्र का निधन हो चुका है एवं प्रत्यर्थी रेल्वे बैंक में है अपीलार्थी अपनी पत्नि सरोज शर्मा से झूंठे तथ्यों पर तलाक लेना चाहता है । उल्लेखनीय है कि तलाक का केस माननीय पारिवारिक न्यायाधीश क्रम–2 कोटा द्वारा खरिज किया जा चुका है जिसकी नकल अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद है । अतः अपील सव्यय खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 03.09.2021 के विरूद्व दिनांक 13.09.2021 को पेश की गई है । उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य डडवाडा स्थित रिहायशी मकान का विवाद है । अपीलान्ट का मुख्य उद्देश्य रेस्पोडेन्ट को उक्त मकान से बेदखल करवाना है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उक्त वादग्रस्त मकान क्षैत्रफल 840 वर्गफुट अपीलांट बंगालीमल एवं रेस्पोडेन्ट सुरेन्द्र शर्मा के नाम है । वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में 2019 (2) DNJ (Raj) 614 ललिता कंवर बनाम सुमेर सिंह एवं AIR 2012 NOC (Raj) 380 नारायणी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश किये । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा भी फर्द के साथ अपीलान्ट की पत्नि सरोज शर्मा का शपथ पत्र पेश किया जिसमें मुख्यरूप से कथन किया है कि डडवाडा वाले मकान की रजिस्ट्री में विक्रेता निरंजन ने उक्त मकान में बंगालीमल एवं सुरेन्द्र शर्मा का बराबर बराबर का हिस्सा एवं दौनों से ही राशि प्राप्त करना माना है । रजिस्ट्री अनुसार दौनों मकान के संयुक्त स्वामी है एवं सुरेन्द्र शर्मा द्वारा कभी भी

जिला कलेक्टर
कोटा

मेरे एवं मेरे पति के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है और ना ही किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं किया गया है तथा बंगालीमल द्वारा सुरेन्द्र शर्मा पर झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण पेश करना बताया है । इस प्रकार प्रकरण यह अधिनियम "माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007" माता पिता एवं वृद्वजनों के हितो के हितार्थ बनाया गया है । प्रकरण में अपीलांट एवं अपीलांट की पत्नि के मध्य भी विवाद होना जाहिर आया है । ऐसी स्थिति में यह अपील उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनवाई कर निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित मानते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में दिये गये प्रावधानों के तहत उभयपक्ष की सुनवाई कर निर्णय पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 03.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा